संख्या- 23/2015/267/41-2015-1यो0/2015-टी0सी0

प्रेषक

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 16 फरवरी, 2015

विषय- वर्ष 2014-15 में जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1675/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनॉक 12.01.2015, पत्र स0 1698/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनॉक 13.01.2015, पत्र सं0-1787/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15, दिनॉक 21.01.2015 एवं पत्र सं0 1797/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनॉक 22.01.2015 तथा पत्र सं0- 1841/7-1-1(जि0यो0)/मूल पत्रा0/2014-15 दिनॉक 29.01.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए श्री राज्यपाल महोदय संलग्न विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू0 195.36 लाख (एक करोड पन्चान्बे लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. स्वीकृत धनराशि अनुमोदित आगणन के अन्तर्गत निहित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/ कार्य में नही किया जायेगा। स्वीकृत की जाने वाली धनराशि जनपदों को आंवटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही सुनिश्चित करके आहरित कर व्यय की जायेगी।

4. आगणन के स्वरूप एवं कार्यदायी संस्था में बिना शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये कोई परिवर्तन नही किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्यदायी संस्था शासन द्वारा अनुमोदित है और विभागीय कार्यों को करने में सक्षम है। कार्य राजकीय निर्माण एजेन्सियों से ही कराया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनोदश संख्या-ई-8-1210/दस -2008 दिनॉक 04-04-2008 के प्रस्तर -1(2) के अनुरूप कार्य से सम्बन्धित

http://shasanadesh.up.nic.in

आगणनों का अधिकृत विभाग के न्यूनतम अधीशासी अभियंता से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया गया है।

5. अनुमोदित कार्यों पर व्यय स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय तथा अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में कोई अनाधिकृत व्यय नही किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त कोई धनराशि बचती है अथवा किन्ही कारणों से धनराशि का उपयोग सम्भव न हो तो उसे यथाशीघ्र राजकोष में जमा कराये जाने की समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत योजनाओं के लिए पूर्व में कोई धनराशि पर्यटन विभाग अथवा किसी अन्य श्रोत/विभाग द्वारा अवमुक्त नही की गयी है और स्वीकृत योजनाओं में कोई पुनरावृत्ति नही हो रही है।

7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत योजनायें पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं और शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों से आच्छादित एवं जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

8. निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 एवं 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसमें अनुबन्ध पत्र भरने की तिथि से 6 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करने, कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने, अधोमानक सामग्री का उपयोग न करने तथा अन्य आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

9. निर्माण एजेन्सी द्वारा केवल निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जायेगे तथा उन्ही कार्यों हेतु अनुमोदित दरों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। भवन के साज-सज्जा इत्यादि के क्रय की व्यवस्था विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं की जायेगी। साज-सज्जा इत्यादि के क्रय में स्टोर परचेज नियमों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख रखाव की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि इन मदों पर होने वाला व्यय भार राजकोष पर न पडे।

11. उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना है, सम्बन्धित संस्था/विभाग के पास निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो गयी है।

12. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य -104-संवर्धन तथा प्रचार-09-पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना)-वृहत निर्माणकार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनॉक 22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या-23/2015(1)/267/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in